न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं 12 / 2020
जीसीएमएसः– 2020 / 00101

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कजाराम पुत्र रूड़ाराम जाति कलबी निवासी पालड़ी सोलंकियान तह–सांचौर जिला सांचौर		1. छगना पुत्र टीकमा। 2. वसाराम पुत्र छगना जातियान भील निवासीगण पालड़ी सोलंकियान तह–सांचौर जिला सांचौर 3. तहसीलदार सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थितः– **तारीख रजू:– 04.09.2020**

1. श्री जालाराम पुनिया प्रार्थी अधिवक्ता।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 एक पक्षीय ।

निर्णय **दिनांक 16.07.2020**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया कि मौजा पालड़ी सोलंकियान पटवारी हल्का पालड़ी सोलंकियान तह–सांचौर के खेत खसरा नमबर 5 रकबा 5.70 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की कब्जा काश्त आई हुई है। उपरोक्त आराजी का प्रार्थी सदैव लगान अदा करता आ रहा है तथा गिरदावरी प्रार्थी के नाम तज्वीज होती आ रही है। प्रार्थी के खातेदारी खेत कब्जा काश्त के उक्त खेत नक्शे में अलग तरमीमसुदा परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से दर्शाया गया है। लेकिन उक्त खेतों की माठ को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने खेतों में मिलाने की चेष्टा करते रहते है। प्रार्थी के खेत की माठ पर वर्षों पुराने खड़े दरखत व थोर को काटकर माठ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तोड़ते रहते है तथा जबरन प्रार्थी के खेत को हड़तना चाहते है। अप्रार्थीगण आये दिन उक्त माठ को लेकर टंटा फसाद करने पर उतारू रहते है। उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रदर्श नक्शा ''अ'' पेश किया जा है उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावे। नक्शे में लाल स्याही स्थान के चिन्हित रेखा अनुसार सीमांकन का प्रार्थी के खेत खातेदारी कब्जा काश्त का आया हुआ है। दिनांक 19.08.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उनके परिवार वाले महिलाएं वगैरह एक गिरोह बनाकर हमारे खेत में सीमा विवाद कर खेत की सीमा अपनी मनमर्जी अनुसार अवैध रूप से नक्शे में तरमीम से हटकर तय करने लगे प्रार्थी के विरोध करने पर नही मानें झगड़ा–टंटा किया, हमें मारने का प्रयास किया जिसका मु[illegible] 37[illegible]/19 पुलिस थाना सांचौर में दर्ज करवाया ऐसी परिस्थति में प्रार्थी की आराजी का स्थायी [illegible] की नेखमबन्दी का विनाय पैदा होने से प्रार्थना पत्र पेश किया है [illegible] नम्बर 5 रकबा 5.70 हैक्टयर का प्रार्थना पत्र के स[illegible] में लाल स्याही से चिन्हित अनुसार खेत की पश्चिमी माठ का स्थायी नेखमवन्दी हेतु पत्थ[illegible]ड़डी सीमाकंन का आदेश[illegible]लदार सांचौर के नाम जारी फरमावे।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2020 को दर्ज रजिस्ट्रर होकर किया गया था। दिनांक 04.09.2020 को अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 के विरूद्व लगातार अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ट्रैस नक्शा व जमाबंदी संलग्न की है जिसका अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5 ग्राम पालड़ी सोलंकियान में आयी हुई है। जिससे प्रार्थीगण खातेदार है। उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण की खातेदारी आयी हुई है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेत की सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ्ढी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा पेश धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मौजा पालड़ी सोलंकियान पटवार हल्का पालड़ी सोलंकियान तहसीलद सांचौर में खसरा नम्बर 5 रकबा 5.70 हैक्टयर का पश्चिमी दिशा पड़ौसी खातेदारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढ्ढी करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सांचौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ओर प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि राशि 1000 रूपये कमिश्नर शुल्क अदा करे। तहसीलदार साचौर को निर्देशित किया जाता है कि खातेदारान के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111–128 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करे तथा प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे पर उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा विभाजक चिन्ह रोपित करावे। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

उक्त आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:28 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner